

राजस्थान सरकार
निदेशालय, कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक :- एफ4(ई)अलेसे-III/1019

दिनांक :- 19.04.2018

कार्यालय आदेश

निम्नांकित कनिष्ठ लेखाकारों को उनके आवेदन के अनुसरण में अग्रिम अध्ययन की स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

क.सं.	लिक नं.	नाम क. लेखाकार (श्री/श्रीमती/सुश्री)	नाम परीक्षा	आयोजक संस्था	वर्तमान पदस्थापन कार्यालय
1	2	3	4	5	6
1	9954	SUKHVEER	NET, 2018	UGC	CHC, RAMGARH SETHAN, SIKAR
2	10904	ARVIND SHARMA	M.COM. (PREV.), (PRIVATE)	M.L. SUKHADIA UNIVERSITY, UDAIPUR	TESHIL, BENGU, CHITTORGARH
3	12017	BHAGIRATH RAM	M.SC.(PREV.)(PRIVATE)	VMOU, KOTA	CMHO, NAGAU
4	11672	SWAROOP SINGH	M.A. (FINAL)(PRIVATE)	VMOU, KOTA	STO, SHIV, BARMER
5	12692	ARVIND KUMAR SUTHAR	M.SC. (PREV.) (CORRESPONDENCE)	VMOU, KOTA	EX.ENG., PHED CIRCLE, HANUMANGARH
6	11280	ANKIT JAIN	M.A.(PREV.)(PRIVATE)	VMOU, KOTA	COLLECTORATE, KOTA
7	12870	SURESH KUMAR	M.A. (FINAL) (PRIVATE)	VMOU, KOTA	T.O., JALORE
8	10633	TEEKAM CHAND	M.COM. (PREV.) (PRIVATE)	MDSU, AJMER	IG, REGISTRATION AND STAMP, AJMER
9	11739	BUDDHA RAM SWAMI	M.A. (FINAL)(PRIVATE)	RAJ. UNI., JAIPUR	DIRECTORATE OF MEDICAL AND HEALTH SERVICES, JAIPUR
10	10435	ANIL KUMAWAT	M.A. (PREV.)(PRIVATE)	GGTU, BANSWARA	T.O. BANSWARA
11	11198	SUMIT ASERI	MBA (DISTANCE EDUCATION)	JAIPUR NATIONAL UNI., JAIPUR	NAGAR NIGAM, BIKANER
12	12043	TRAPTI HARIT	M.A. (PREV.) (CORRESPONDENCE)	VMOU, KOTA	DIRECTORATE OF MEDICAL AND HEALTH SERVICES, JAIPUR
13	12215	SANJU KANWAR	M.A. (PREV.) (PRIVATE)	MDSU, AJMER	TEHSIL, PARBATSAR, NAGAU
14	10563	RAJU PATEL	M.A. (PREV.) (PRIVATE)	MDSU, KOTA	SUPTD. ENGG., PWD, CIRCLE, DUNGARPUR
15	12779	SEEMA KUMARI	M.A. (FINAL)(PRIVATE)	RAJ. UNI., JAIPUR	CE, PHED (H.Q.) JAIPUR
16	11504	BHUPESH KUMAR VERMA	M.A. (FINAL)(PRIVATE)	KOTA UNI., KOTA	CHC, INDRAGARH, BUNDI
17	12333	BHANVARI DEVI CHOUHDARY	M.SC. (PREV.)(PRIVATE)	VMOU, KOTA	T.O., NAGAU
18	11409	ANTIMA SONI	B.ED (PREV.) (CORRESPONDENCE)	VMOU, KOTA	T.O., KOTA
19	11342	ALKA	M.A. (PREV.) (PRIVATE)	MGSU, BIKANER	BEEO, RAWATSAR
20	2990	ANITA KUMARI VERMA	M.A. (PREV.) (CORRESPONDENCE)	KOTA UNIVERSITY, KOTA	T.O., KOTA
21	11997	SUMAN MEENA	M.SC. (FINAL) (CORRESPONDENCE/ PRIVATE)	VMOU, KOTA	ASTT. DIRECTOR, SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT, TONK
22	11456	ALKA MEENA DEVI	M.SC. (FINAL) (ExStudent)	VMOU, KOTA	CHC, KATHUMAR, ALWAR
23	12368	BHAWANI SHANKAR MEENA	M.A. (PREV.) (PRIVATE)	M.L. SUKHADIA UNIVERSITY, UDAIPUR	CHILD DEVELOPMENT OFFICER, PRATAPGARH II, DEVGARH

24	10453	SHEOLAL GURJAR	NET, 2018	UGC	X. EN PROJECT DIV PHED UNIARA - TONK
25	12943	SACHIN SHARMA	M.A. (PREV.) (PRIVATE)	RAJASTHAN UNIVERSITY, JAIPUR	JUDGE, SPECIAL COURT DACOITY LAW DEPARTMENT DHOLPUR

उक्त अध्ययन स्वीकृति राजस्थान सिविल सेवा (आचरण) नियम 1971 के प्रावधानों एवं नियुक्ति आदेश में वर्णित शर्तों के अतिरिक्त निम्न शर्तों के अधीन होगी :-

- 1 शिक्षण संस्थान में अध्ययन का समय कार्यालय समय के समान ही हो तो अध्ययन स्वीकृति स्वतः समाप्त मानी जायेगी।
- 2 आपका पदस्थापन मुख्यालय से परिवर्तित/ स्थानान्तरित हो जाता है तो अध्ययन स्वीकृति स्वतः ही समाप्त हो जायेगी।
- 3 प्रत्येक वर्ष के लिये अलग-अलग स्वीकृति लेनी आवश्यक होगी।
- 4 विभाग की पूर्वानुमति प्राप्त किये बिना अध्ययन जारी रखने एवं परीक्षा में सम्मिलित होने पर आपके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।
- 5 उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु अथवा अध्ययन जारी रखने एवं परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति के अन्तर्गत परीक्षा दिवसों के अतिरिक्त अन्य कोई अवकाश स्वीकृत नहीं किया जावेगा।
- 6 अध्ययन जारी रखने की स्वीकृति दिये जाने से किसी स्थान विशेष पर पदस्थापन निरन्तर रखने का अधिकार नहीं मिल सकेगा और अस दौरान अन्यत्र स्थानान्तरण किया जा सकता है।
- 7 अध्ययन जारी रखने से दैनिक राजकीय कार्य सम्पादन में किसी प्रकार की बाधा/ व्यवधान उत्पन्न होने पर यह स्वीकृति समाप्त कर दी जायेगी।
- 8 अध्ययन वर्ष में उपस्थिति का प्रतिशत कम होने के लिये सरकार/ विभाग किसी प्रकार से जिम्मेदार नहीं होगा।
- 9 परीक्षा की तैयारी हेतु किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जावेगा।
- 10 प्रशासनिक कारणों से उक्त स्वीकृति बिना किसी पूर्व सूचना के निरस्त की जा सकती है।

क्रमांक :- एफ4(ई)अलेसे-III/1019

(मंजुला वर्मा)
निदेशक

दिनांक :- 19.04.2018

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. संबंधित विभाग/ कार्यालय (तालिका के कॉलम 6 के अनुसार)।
2. अतिरिक्त निजी सचिव, निदेशक।
3. उपनिदेशक (एसीपी) को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

(शिल्पी कौशिक)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-III)